

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 1423 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 30 / 12 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. संतोष सिंह पुत्र छोटे सिंह सिकरवार, उम्र 32 वर्ष।
निवासी :- स्कार्पियों कान्वेंट स्कूल गोहद चौराहा, थाना :- गोहद
चौराहा, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 11 / 07 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी संतोष पर धारा 05 / 180, 146 / 196 एवं 39 / 192 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 06 / 08 / 2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई. 02एफ02डीपी53823 के स्वामी होते हुए को उक्त वाहन आरोपी अरविन्द सिंह से सार्वजनिक स्थान पर चलवाया, जिसके पास उक्त वाहन को चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी, एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है एवं प्रकरण में आरोपी अरविन्द पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 06 / 08 / 2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, वाहन स्कार्पियों कान्वेंट स्कूल की कमाण्डर गाड़ी का चालक अरविन्द उर्फ हउआ पुत्र विश्राम सिंह तोमर, निवासी :- ग्राम नौनेरा, द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उक्त वाहन को पलट देने से मृतक कुलदीप की मृत्यु उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट मृतक कुलदीप के चचेरे भाई फरियादी भूपेन्द्र द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर में की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन स्कार्पियों कान्वेंट स्कूल की कमाण्डर गाड़ी के चालक अरविन्द उर्फ हउआ पुत्र विश्राम सिंह तोमर, निवासी :- ग्राम नौनेरा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 137 / 2015 अन्तर्गत धारा 304 ए पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की

गई। विवेचना के दौरान आरोपी अरविन्द को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी भूपेन्द्र, साक्षीगण परमाल, नरेन्द्र एवं महिपाल सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी अरविन्द एवं संतोष के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं एवं धारा 03/181, 05/180, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त संतोष के विरुद्ध धारा 05/180, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी संतोष ने दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड़ थाना मालनपुर पर, वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई.02एफ02डीपी53823 को उक्त वाहन के स्वामी होते हुए आरोपी अरविन्द सिंह से सार्वजनिक स्थान पर चलवाया, जिसके पास उक्त वाहन को चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. अभियोजन साक्षीगण भूपेन्द्र अ.सा.01, परिमाल अ.सा.02, नरेन्द्र अ.सा.03, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रमेश अ.सा.04 एवं विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो यह

दर्शित करते हो कि आरोपी संतोष ने दिनांक : 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड थाना मालनपुर पर, वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई. 02एफ02डीपी53823 को उक्त वाहन के स्वामी होते हुए आरोपी अरविन्द सिंह से सार्वजनिक स्थान पर चलवाया, जिसके पास उक्त वाहन को चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी, एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

09. आरोपीगण तथा मृतक कुलदीप के पिता नरेन्द्र, चाचा परिमाल एवं चचेरे भाई भूपेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और साक्षीगण भूपेन्द्र अ.सा.01, परिमाल अ.सा.02 एवं नरेन्द्र अ.सा.03 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी संतोष ने दिनांक :- 06/08/2015 को रात्रि लगभग 11:00 बजे बाबा की टेकरी के पास बाराहेड रोड थाना मालनपुर पर, वाहन कमाण्डर जीप चैसिस क्रमांक एनडब्ल्यूडीपी 650 डी.आई. 02एफ02डीपी53823 को उक्त वाहन के स्वामी होते हुए आरोपी अरविन्द सिंह से सार्वजनिक स्थान पर चलवाया, जिसके पास उक्त वाहन को चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी, एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

अंतिम निष्कर्ष

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी संतोष के विरुद्ध धारा 05/180, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी संतोष को धारा 05/180, 146/196 एवं 39/192 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त संतोष की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

13. प्रकरण में अभी आरोपी अरविन्द के फरार होने और उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी होने के कारण उसके संबंध में निर्णय अभी शेष हैं, इसलिए प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद